

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी/ जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 160/2022

जी सी एम एस न० 2022/400

मुकेश कुमार

बनाम

दर्ज दिनांक 29.04.2022


निर्णय दिनांक 10.01.2023

उषा देवी आदि

अंतिम निर्णय
दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...
-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.01.2023 को अंतिम डिक्री
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.01.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन
प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..-.....निल.....
..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....निल.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....निल.....
फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....निल.....
का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह
01 सन 2023 को जारी की गई।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न०- 160/2022
जी सी एम एस न० 2022/400
मुकेश कुमार

दर्ज दिनांक 29.04.2022
निर्णय दिनांक 10.01.2023
उषा देवी आदि


बनाम
अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2022 को संशोधित प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम कीरपुरा पटवार हल्का केड तहसील गुढागौडजी के वर्तमान भूमि खसरा न. 189 कुल रकबा 3.37 है० में वादी व प्रतिवादी न० 1, 5 व प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसान पिकी पत्नी बसन्त व पल्लवी पुत्री बसन्त, प्रतिवादी संख्या 8, 10, 11 के हिस्से की भूमि का कब्जा एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढागौडजी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।


प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौडजी से पत्र क्रमांक:- भू.अ./2023/54 दिनांक 09.01.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.01.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.01.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।


रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी